

न्यायालय श्री मानु राजस्व मण्डल मध्य पुदेश गवा नियर के म्य टीवा म०प०

विलोपित / विवापित

तीन रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित / विवापित

तीन रुपये TWENTY RUPEES

- 101। सुखन्त सिंह पिता श्री जगदीश सिंह गोडे ₹3.30/-
 102। देवेन्द्र सिंह पिता श्री जगदीश सिंह गोडे,
 दोनों निवासी ग्राम अरबा, तहसील - देवसर, जिला - निगरानी
 ₹३०प०। अविवाहित गण

बनाम

कोटि आफ कोटि 01 - गनपत पिता गिरधरी सिंह इमृतकर्ण पत्नी जयमनिधा।

कोटि आफ कोटि 02 - जयलाल सिंह पिता श्री महीपति सिंह

कोटि आफ कोटि 03 - सुलाल सिंह पिता महीपति सिंह, निगरानी
 सभी निवासी ग्राम अरबा, तहसील - देवसर, जिला - निगरानी ₹३०प०। अविवाहित गण

निगरानी बिरद आदेश नायब तहसीलदार
 देवसर बृत्त, सराई, जिला - निगरानी के
 प्रकरण क्रमांक - 119 अ-6-12-13 अस्थ ऐ
 प्रकरण क्र० 25-36-97-98 आदेश दिनांक
 28/7/2017

निगरानी अन्तर्गत धारा - 50 म०प० अनुराग
 तरु 1959वं।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

- 101। यहकि अधीनस्थ न्यायालय की आवश्य विभिन्न स्व प्रक्रिया के
 विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 102। यहकि अधीनस्थ न्यायालय ने दि 0 28/7/17 को आदेश
 पारित किया है उसकी सूचा आवेदण को नहीं दी गई जबकि अधीन-
 स्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22/7/17 को प्रकरण लिया गया 30/6/17
 को आदेश में नियत किया गया है। लेकिन उस दिन आवेदक उपस्थिति था
 आदेशपारित नहीं हुआ, आदेश दि 0 28/7/17 को पारित हुआ जिससे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रावालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

दिनांक ||/निरा/2017/4914

जिला—सिंगरौली

सुखवन्त सिंह गोड / गनपत सिंह बगैर:

(1)	(2)	(3)
७५-४-१९	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव घाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त सरोंधा, तहसील देवसर के प्रकरण क्रमांक 119/अ-६/2012-13 एवं 25/अ-६/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशनंद चौधरी), सदस्य</p>	—